**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, महोबा**
**उपस्थितः राम नगीना यादव,(उच्चतर न्यायिक सेवा) UP5737**

**UPMB010015282025**
**<u>दाण्डिक अपील संख्या-30/2026</u>**

महेन्द्र सिंह उम्र करीब 75 वर्ष पुत्र स्व० श्री बरजोर सिंह,निवासी ग्राम बरातपहाड़ी थाना व तहसील महोबा जिला महोबा उत्तर प्रदेश

**-------प्रार्थी/अपीलार्थी**

बनाम

1. राज्य उत्तर प्रदेश
2. सुधीर कुमार खरे उम्र करीब 48 वर्ष पुत्र स्व० श्री जयराम खरे निवासी ग्राम बरातपहाड़ी थाना व जिला महोबा उत्तर प्रदेश **-------विपक्षी**

धारा-415 बी०एन०एस०एस०
<u>थाना-कोतवाली महोबा , जिला महोबा।</u>

---

1. पत्रावली आदेश हेतु पेश हुयी। उभयपक्ष की ओर से सुलहनामा कागज संख्या-23क दाखिल किया गया जिसमें यह कथन किया गया है कि उक्त दाण्डिक अपील में उभयपक्ष के मध्य समझौता हो गया है। समझौता के आधार पर चेक के मुकदमा की धनराशि का मु०4,50,000/- (चार लाख पचास हजार रूपया) में से मु०3,60,000/-(तीन लाख साठ हजार) रूपया आज प्राप्त कर लिया है और मु०90,000/-(नब्बे हजार रूपया) में से मु०80,000/-(अस्सी हजार रूपया) जो न्यायालय में जमा है, सुधीर कुमार खरे के पक्ष में अवमुक्त कर दिया जाये जिसमें उसकी पूर्ण सहमति है। विपक्षी सुधीर खरे को अपीलार्थी की सजा न्यायालय द्वारा माफ किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है बल्कि पूर्ण सहमति है। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए उक्त दाण्डिक अपील राजीनामा के आधार पर निर्णीत किये जाने की प्रार्थना की गयी।

2. उभयपक्ष आपस में सहमत हैं और उक्त दाण्डिक अपील का निस्तारण आपसी सुलह के आधार पर कराना चाहते हैं। सुलहनामा उभयपक्ष को पढ़कर सुनाया गया जिस पर उन्होने सहमति व्यक्त की। सुलहनामा तस्दीक व सत्यापित किया गया। अतः प्रस्तुत दाण्डिक अपील सुलहनामा कागज संख्या-23क के आधार पर निस्तारित किये जाने योग्य है।

3. **आदेशः** प्रस्तुत दाण्डिक अपील सुलहनामा कागज संख्या-23क के आधार पर निस्तारित की जाती है। सुलहनामा कागज संख्या-23क आदेश का भाग रहेगा। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

**दिनांकः23.06.2026**

**(राम नगीना यादव)**
**सत्र न्यायाधीश,**
**महोबा।**

Digitally signed by RAM NAGINA YADAV
Date: 2026.06.23 19:24:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court